

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 700859/16

संस्थित दिनांक-22.12.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मनोज कुमार पुत्र स्व0 भगवानदास आर्य
उम्र 43 साल, निवासी धनवंती कॉम्पलेक्स
भिण्ड जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 16.02.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 एवं मोटरयान अधि0 की धारा 3/181 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 04.04.16 को करीब 04:30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत गोहद से गोहद चौराहा मार्ग पर अपनी कार क्रमांक एम0पी0-30 सी0-2200 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन का सार्वजनिक मार्ग पर बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के परिवहन किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि0 की धारा 337 का उपशमन किया गया। इस निर्णय के द्वारा संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी विवेक जैन दिनांक 04.04.16 को करीब 4:30 बजे सांय को अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0-एम0के0 3111 से एजेंसी पर गोहद रोड तरफ जा रहा था तभी सामने से एक कार नंबर एम0पी0-30 सी0-2200 का चालक अभियुक्त अपनी कार को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और रॉंग साईड में जाकर फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे फरियादी गिर पड़ा और उसे शरीर में चोटें आईं। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0-83/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया, घटना स्थल का नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.04.16 को करीब 04:30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत गोहद से गोहद चौराहा मार्ग पर अपनी कार क्रमांक एम0पी0-30 सी0-2200 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का सार्वजनिक मार्ग पर बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के परिवहन किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में विवेक जैन अ0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. फरियादी विवेक जैन अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना 8-9 महीने पहले की दोपहर के 4-4:30 बजे की है। वे गोहद चौराहे से एजेंसी पर जा रहे थे तभी एक कार आई उसे बचाने के चक्कर में वहां पर चल रहे रोड के काम के कारण और रोड पर गिट्टी (पत्थर) में उसकी मोटरसाईकिल फिसल गयी और वे कार के पिछले हिस्से में टकरा गए जिससे उनके सिर, पैर, हाथ के पंजे में चोट आई थी। साक्षी यह कथन करते हैं कि उक्त कार आराम से चल रही थी लेकिन रोड का काम चलने से उनकी मोटरसाईकिल टकरा गयी। कार का नंबर याद न होना बताते हैं और उसके चालक का नाम भी मालूम न होना बताते हैं किन्तु कथन करते हैं कि चालक की आयु करीब 20-21 वर्ष रही होगी। साक्षी उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में करना बताते हैं जिसे प्र0पी0 1 दर्शाकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी/आहत द्वारा घटना में लिप्त वाहन व उसके चालक के संबंध में तथा वाहन के चलने की रीति के संबंध में कोई भी सारवान कथन नहीं किया है और साक्षी पक्षद्रोही हो गया है। ऐसे में अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

8. प्रकरण में फरियादी विवेक जैन अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि उन्होंने पुलिस को कोई भी बयान नहीं दिया। साक्षी सूचक प्रश्नों में इस तथ्य से इंकार करते हैं कि अभिकथित कार नंबर एम0पी0-30 सी0-2200 के चालक ने उपेक्षा व उतावलेपन से रोंग साईड (गलत दिशा) में आकर उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारने के सुझाव से इंकार करते हैं। साक्षी इस तथ्य से भी इंकार करते हैं कि उन्होंने चालक के रूप में अभियुक्त मनोज कुमार आर्य निवासी भिण्ड का नाम लिखाया था। साक्षी रिपोर्ट प्र0पी0 1 में विनिर्दिष्ट बी से बी तथा सी से सी भाग के तथ्य लिखाए

जाने से स्पष्ट इंकार करता है। इसके अतिरिक्त पुलिस कथन प्र0पी0 3 में भी विनिर्दिष्ट ए से ए भाग के कथन में वाहन का नंबर व उसके चालक के रूप में अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाए जाने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया गया है। साक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को आज पहली बार देखना और कार चालक अभियुक्त से भिन्न कोई 20-21 वर्ष का लड़का होने का कथन किया गया है। ऐसे में फरियादी के द्वारा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को संदिग्ध बना दिया गया है।

9. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिया गया है इस कारण से वह अभियुक्त के विरुद्ध कथन नहीं कर रहा है। राजीनामा अभिलेख पर है किन्तु साक्षी द्वारा राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा कोई वाहन नहीं चलाया गया और उसकी कोई गलती नहीं है। इस प्रकार से राजीनामा के संबंध में तथ्य होने से अभियुक्त को सारवान साक्ष्य के अभाव में काल्पनिक आधारों पर आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। संहिता की धारा 279 व मोटरयान अधि0 की धारा 3/181 के प्रमाणित किए जाने हेतु सर्वप्रथम अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर वाहन का संचालन उपेक्षा व उतावलेपन से बिना चालक अनुज्ञप्ति के किया गया हो। प्रकरण में फरियादी के द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्त से भिन्न एक 20-21 वर्षीय युवक का वाहन चालक होना बताया है इसके अतिरिक्त उक्त वाहन के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के विपरीत स्वयं ही सड़क निर्माण कार्य के पत्थर पर मोटरसाईकिल से संतुलन खोकर फिसल जाने के कारण कार के पिछले हिस्से में लगने का कथन किया है। ऐसे में अभियुक्त के द्वारा अभिकथित दिनांक 04.04.16 को सुसंगत समय सायं 4:30 बजे के लगभग गोहद चौराहा अंतर्गत गोहद से गोहद चौराहा मार्ग पर कार के चलाए जाने का तथ्य व उसे उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है।

10. अभियोजन द्वारा प्राथमिकी व पुलिस कथन में अभियुक्त का नाम होने से उसके विरुद्ध मामला प्रमाणित होने का तर्क किया है। उक्त तर्क के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि0 स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तर के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। प्रकरण में फरियादी विवेक जैन अ0सा01 द्वारा

प्राथमिकी प्र0पी0 1 के विनिर्दिष्ट भाग तथा धारा 161 दफ़्त के कथन प्र0पी0 3 में तात्त्विक विरोधाभास व लोप का कथन किया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

11. अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। संदेह का लेशमात्र भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को खण्डित कर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिलाए जाने का आधार होता है। अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन के मात्र जब्त हो जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा वाहन लोकमार्ग पर घटना के समय चलाया जा रहा था। अतः अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्तकर दोषमुक्त का पात्र है। अतः अभियुक्त को धारा 279 एवं मोटरयान अधि0 की धारा 3/181 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। धारा 337 भादवि0 के आरोप से अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।

12. अभियुक्त की जमानत निरस्त किए जाते हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

13. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/—

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/—

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग)